स्वास्थ्य के अधिकार पे छत्तीसगढ़ जन स्वास्थ्य अभियान का राज्य सम्मलेन

23 मार्च 2018 को 'स्वास्थ्य के अधिकार' पे राज्य स्तरीय सम्मलेन रायपुर के गास मेमोरियल में जन स्वास्थ्य अभियान एवं उससे जुडी संस्थाओं के द्वारा रखा गया | राज्य भर से स्वास्थ्य, कानून, आदिवासी और दलित संगठन, शोध संस्थाएं, ट्रेड यूनियन और अन्य समुदाय आधारित संस्थाओं ने भाग लिया| प्रदेशभर से लगभग 200 प्रतिभागियों ने जुटकर स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लोगो को आने वाली समस्याओं पे अनुभव बाटें एवं राज्य सरकार की सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की निजीकरण की योजनायों पे चिंता जताई|

सभा द्वारा सरकार के निजीकरण की योजनायों पर कड़ा विरोध जताया गया| यह कहा गया कि राज्य सरकार को आदिवासी, दलित, गरीब और ग्रामीण के कल्याण से कोई मतलब नहीं है| सरकार तो सिर्फ निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने के लिए, अपने अस्पताल और सेवायें उनको सौंप दे रही है | उन्होंने सरकार के निजीकरण के तर्क, जो कि सरकार मानव संसाधन की कमि बताया जा रहा है, उसपे प्रश्न उठाया | लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि सरकार रायपुर और दुर्ग के अस्पतालों में भर्तियाँ कैसे नहीं कर पा रही जबकि बीजापुर और दंतेवाडा में जिला अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टरों की भर्तियाँ हुई है और सराही गयी है| साथ ही सरकार हर दिन इससे सम्बंधित अलग अलग बयान दे रही है जनता को धोखा देने के लिए | सभा द्वारा चिंता जताई गयी कि शायद सरकार जांच सेवायों को भी आउटसोर्स करने की कोशिश कर रही है, जिससे सरकारी लैब बंद हो जायेंगे और लोगों को सेवाएं महंगी पड़ेगी|

दूसरे राज्यों से और विश्व के देशों में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवायों के निजीकरण पे किये गए शोध और तथ्य यही बताते है कि निजीकरण से स्वास्थ्य सेवायों पर विपरीत प्रभाव बढ़ता है, मरीजों का और सरकार पे खर्चा बढ़ता है और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र कमजोर होता है | छत्तीसगढ़ में ही पिछले निजीकरण के प्रयासों जैसे एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, वेदांता कैंसर हॉस्पिटल, और ग्रामीण मोबाइल मेडिकल यूनिट फ़ैल हुए और सरकारी पैसों का नुकसान हुआ है |

प्रतिभागियों ने यह भी चर्चा किया कि कैसे स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाय. और एम.एस.बी.वाय.) जो कि कहा जाए तो सरकार की सबसे बड़ी निजीकरण की योजना है| उससे न सिर्फ सरकारी पैसा निजी हाथों में जा रहा है बल्कि मरीजों को भी बहुत अधिक खर्चे करने पर रहे हैं इलाज पर | प्रतिभागियों ने प्राइवेट में स्वास्थ्य बीमा योजना इस्तेमाल करने के अनुभव बांटे | उन्होंने अस्पतालों में घोर मानव अधिकार उल्लंघनों और बेहद अधिक पैसा मांग किये जाने के अनुभव साझा किये | कुछ ने प्राइवेट अस्पताल द्वारा मृत मरीज के शव को बंदी बनाने के किस्से बताये|

एक प्रतिभागी ने बताया कि कैसे अम्बिकापुर के एक प्राइवेट अस्पताल ने स्मार्ट कार्ड में पैसा न होने के कारण बीमा योजना के अंतर्गत इलाज से मना कर दिया और उन्हें 20,000 रूपये नगद देकर इलाज करवाना पड़ा | उसने 104 हेल्पलाइन पे मदद माँगी पर वह कोई मदद नहीं किए | बाद में स्मार्ट कार्ड जिला अस्पताल में चेक कराने पे पता चला कि कार्ड में पैसा था | अन्य प्रतिभागी ने बताया कि रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में बच्चे के स्मार्ट कार्ड से इलाज के दौरान परिवार वालों को सात दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा था | रिश्तेदारों द्वारा जबरदस्ती आई. सी. यू. में जाने पे पता चला कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी | फिर भी अस्पताल वालों ने

शव को बंदी बना लिया गया और 1.5 लाख की मांग की गयी| एक अन्य केस में प्राइवेट असोप्ताल ने मरीज के परिवार से स्मार्ट कार्ड से राशि काटने के अलावा 90,000 रूपये नगद लिए | जब परिवारजन मरीज को दुसरे हस्पताल में ले जाने चाहे तो अस्पताल ने स्मार्ट कार्ड वापस देने से मना कर दिया | एक प्रतिभागी ने बताया कि एक मरीज से जब प्राइवेट अस्पताल द्वारा स्मार्ट कार्ड के बावजूद अत्याधिक पैसे मांगे गए, तो पैसा न देने के कारण मरीज की बीवी ने परेशान होकर अस्पताल की छत से कूदके आत्महत्या कर ली |

आंध्र प्रदेश से आई हिल्डा ग्रेस ने अरोग्यश्री बीमा योजना के किस्से बांटे और कैसे उससे लोगों और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर नकारात्मक असर पड रहा है | छत्तीसगढ़ की तरह आन्ध्रा में भी बीमा राशि का 80% पैसा निजी अस्पतालों में जा रहा है और उसके अलावा लोगों को अपनी जेब से भी खर्च करना पढ़ रहा है |

पीड़ितों ने 104 शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर की खराब क्रियान्वन के बारे में बताया जहा उनके अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी के लिए कोई उम्मीद नहीं मिलती | उन्होंने बहुत किस्से बताये जहा पे 104 पे शिकायत की गयी, पर कोई निराकरण नहीं हुआ|

यह चर्चा हुई कि कैसे सरकार बजट आवंटन में घटौती, मानव संसाधन के नियुक्तीयाँ न करके, दवाइयां अनुपलब्धता से और कर्मचारियों को सुविधायें न देके खुद के स्वास्थ्य तंत्र की अनदेखी कर रही है | इससे सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी भी हौसला खो देते है| महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के यूनियन ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ANM और GNM का कोर्स की हुई 900 मितानिन है जो बेरोजगार बैठी है और उनकी नियुक्तीयाँ नहीं की जा रही है | सबके द्वारा यह मांग राखी गयी 900 सरकार को इसके लिए रेगुलर नियुक्तीयाँ करनी चाहियें और स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जांच केन्द्रों में भर्तियाँ करनी चाहिए |

सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस भी एक मुख्य मुद्दा निकल के आया जो न सिर्फ सरकारी तंत्र को कमजोर कर रहा है परन्तु लोगों को स्वास्थ्य सेवा लेने में बाधा डाल रहा है जिससे उन्हें अपने जेब से पैसे खर्च करने पढ़ रहे है | प्रतिभागियों ने बताया कि सरकारी डॉक्टर अपना सरकारी क्लिनिक छोड़के मरीजों को निजी क्लिनिक में बुलाते है |

सभी के द्वारा एक मांग पत्र रखा गया जिसमें सभी संस्थायों और प्रतिभागियों ने अपनी सहमति दी, और जिससे सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा | सभी ने एकमत रखा की छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी पैसा शासकीय स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने में लगाना चाहिए ना कि बीमा योजना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी हाथों में डालना चाहिए | सरकार को प्राइवेट सेक्टर में भी दवाइयों और इलाज के लिए रेट निर्धारित करने चाहिए | प्रतिभागियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं , मध्यान्ह भोजन रसोइये, मितानिन , मितानिन ट्रेनर्स की बेहतर भत्तों की मांगो से सहमति जतायी|

सम्मेलन की समाप्ति इन मांगों के साथ हुई कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी निजीकरण योजनाओं को रद्द करे और प्रदेश की जनता और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाए |